11/12/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय-
पक्ष अनु। वाद स्वीकार किया जाता
है तथा प्रतिवादी क्र.1 का प्रतिवाद खारिज
किया जाता है। पृथक निर्णय शामिल किया
जाता है। डिक्री जारी हो। नियम से कार्य-
हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2014/00170

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : संदीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 129/2014 GCMS:- 2014/00170 **दायर दिनांक : 28.07.2014**

1. नायब सिंह } पुत्रगण करनैल सिंह अकवाम जटसिख
2. साहब सिंह } निवासीयान शाहपीनी तहसील संगरिया।

......वादीगण

बनाम

1. प्रभूर सिंह उर्फ भूरासिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज)
2. बाबू सिंह (मृतक) जरिये वारिसान
   2/1. राजेन्द्र सिंह } पुत्र श्री बाबूसिंह पुत्र करनैल सिंह
   2/2. बलविन्द्र सिंह } अकवाम जटसिख निवासीयान शाहपीनी।
3. मलकीत सिंह (फौत) जरिये वारिस
   3/1. हरवीरकौर } पुत्र/पुत्री मलकीत सिंह जाति जटसिख
   3/2. कुलविन्द्र सिंह } निवासीयान शाहपीनी।
4. रानी पुत्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. प्रकाश सिंह (फौत) जरिये वारिस
   5/1. सिमरजीत कौर } पुत्र/पुत्री प्रकाश सिंह जाति जटसिख
   5/2. बलराज सिंह } निवासीयान शाहपीनी तहसील संगरिया।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. उपपंजीयक सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88ए 91 ए, 92 ए, 188, 207, 209
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

1. श्री जसवीर सिंह, अभिभाषक वादी
2. श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1
3. श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2/1 से 3/2, 5/1, 5/2
4. श्री प्रमोद सहाय प्रतिवादी सं. 4
5. पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय **दिनांक : 11.12.2024**

आज यह पत्रावली निर्णय हेतू पेश हुई, पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के विचारण तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद घोषणा एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि चक 4 डी.डब्ल्यू.एम का खाता सं. 22/28 जमाबंदी संवत 2069 ता 72 पं.न. 137/26 के कि.न. 23 ता 25, प.न. 137/34 के कि.न. 15 ता 25 कुल 6.733 है. प.न. 137/42 के कि.न. 6, 11 ता 25 में 4.048 है. प.न. 137/50 के कि.न. 4 ता 25 में 5.238 है. व प.न. 137/58 के कि.न. 1 ता 3, 6 ता 25 में कुल 5.693 है. प.न. 157/2 के

क्रमशः पेज 2 पर....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कि.न. 11, 19 ता 23 में कुल 1.442 है. प.न. 157/11 के कि.न. 10 ता 12, 20 में 1.012 है. प.न. 157/3 के कि.न. 1 ता 16 में 4.048 है. प.न. 137/51 के कि. न. 1 ता 15, 18 ता 23 में 5.060 है. प.न. 137/43 के कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. प.न. 137/35 के कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. प.न. 137/27 के कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 22 ता 25 में 4.048 है. प.न. 137/28 के कि.न. 2 ता 11 में 2. 530 है. प.न. 137/36 के कि.न. 1 ता 5, 9, 10 में 1.771 है. प.न. 137/44 के कि.न. 1, 2 में 0.506 है. कुल 51.463 है. भूमि में से 2.846 है. रकबा खातेदारी बलदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। यह भूमि बलदेव सिंह के नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज हुई है विक्रय पत्र में बलदेव सिंह गलत नाम दर्ज हो गया विक्रय पत्र में करनैल सिंह पुत्र श्री दीप सिंह दर्ज होना चाहिये था बलदेव सिंह नाम का कोई आदमी अस्तित्व में है ही नहीं उक्त भूमि के खातेदार बलदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह का नाम कलमजन करवाकर खातेदार का नाम करनैल सिंह पुत्र श्री दीप सिंह का नाम बाद घोषणा अंकित करवाने के पात्र है, प्रतिवादी सं. 1 बदयान्त हो गये है व भूमि बेचान करने को उतारू है। वादीगण ने वाद के माध्यम से जमाबंदी में अंकित नाम बैयनामां को दुरूस्त करते हुए बलदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह के स्थान पर करनैल सिंह पुत्र श्री दीप सिंह को प्रश्नगत भूमि का खातेदार मानते हुए उसके माध्यम से करनैल सिंह के वारिसान को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित करने व प्रतिवादी सं. 1 को पाबंद करने की घाषणा चाही कि वह जमाबंदी में अंकन का फायदा उठाकर भूमि का हस्तांतरण ना करे व वादी के कब्जा में हस्तक्षेप ना करे, वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को तलब किया गया उनकी ओर से अभिभाषक उपस्थित आये व उनके द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिदावा प्रस्तुत करके अनुतोष चाहा कि वे प्रतिदावाकर्त्ता के कब्जे की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। जवाब पक्षकारान के प्राप्त होने के बाद तनकीयात कायम की गई जो निम्न प्रकार से कायम हुई:–

1. आया वादाधीन भूमि चक 4 डी.डब्ल्यू.एम. का खाता सं. 22/28 का कुल 51.463 है. खातेदारी भूमि में 2.846 है. रकबा लिपिकीय भूल से बैयनामां दर्ज किया है ? ....वादीगण
2. आया बलदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह का नाम कलमजन किया जाकर करनैल सिंह पुत्र श्री दीप सिंह का नाम दर्ज करने के हकदार है ? ....वादीगण
3. आया प्रतिवादी सं. 1 प्रभूर सिंह के स्थान पर बलदेव सिंह बनकर रकबा हड़पकर बेचान करना चाहता है जरिये चिरस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का हकदार है? ....वादीगण
4. आया की वादीगण व प्रतिवादीगण करनैल सिंह वल्द दीप सिंह के जायज वारिसान होने से राजस्व रिकॉर्ड में ब.हि.ब. अमल दरामद कराने के हकदार है? ....वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:38 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः पेज 3 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

5. आया बैयनामां के अनुसार भरपूर सिंह उर्फ बलदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह व अन्य काश्तकार जो कि राजस्व रिकॉर्ड खाता सं. 20/28 में दर्ज संयुक्त खातेदार कृषक है को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए वाद पत्र Non Joinder of the necessary party suit की तारीफ में आता है? ....प्रतिवादी सं. 1
6. आया वादी द्वारा बैयनामां दिनांक 17.02.1959 यानि 55 वर्ष पूर्व पुराना दस्तावेज के विरूद्ध पेश किया है, जिसे निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है? .... प्रतिवादीगण
7. आया की प्रतिवादी सं. 1 वादीगण के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है? ....प्रतिवादी सं. 1
8. आया वादीण ने धारा 211 आर.टी.ए. के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त खाता के काश्तकारों को पक्षकान नहीं बनाया गया है इसलिये वाद पत्र चलने योग्य नहीं है? ....प्रतिवादी 2,3,5
9. अनुतोष।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बाद कायमी तनकीयात् पक्षकारान के शपथ पत्र पर साक्ष्य लिये गये वादी द्वारा स्वयं के एवं साहब सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह के शपथ पत्र पर बयान करवाये प्रतिवादी भरपूरसिंह ने स्वयं के एवं खेत पडौसी सलखन सिंह व जसपाल सिंह के शपथ पत्र पर बयान करवाये व स्वयं प्रभूर सिंह का आधार कार्ड एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संगरिया का निर्णय दिनांक 01.11.2022 की नकल प्रस्तुत की जिसमें प्रभूर सिंह उर्फ भूर सिंह उर्फ बलदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह एक ही व्यक्ति के नाम माने गये है।

पक्षकारो के साक्ष्य आने के बाद तर्क सुने गये अभिभाषक वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तांतरण पत्र जिसके द्वारा बलदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह का नाम जमाबंदी में आया यह हस्तांतरण गलत हुआ है वास्तव में हस्तांतरण करनैल सिंह पुत्र श्री दीप सिंह ने अपने नाम करवाया था किन्तु लिपिकीय त्रुटि से बलदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह के नाम हस्तांतरण दिखा दिया गया बलदेव सिंह के नाम का कोई व्यक्ति करनैल सिंह का पुत्र नहीं है और करनैल सिंह के नाम हस्तांतरण होने से प्रश्नगत भूमि के खातेदार कृषक बाद मृत्यु करनैल सिंह सभी करनैल सिंह के पुत्र/पुत्री बतौर वारिस उक्त भूमि में बहिस्सा बराबर घोषित होने के पात्र है पूर्व नाम बलदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जमाबंदी से कलमजन करवाकर करनैल सिंह के समस्त वारिस उक्त भूमि में बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित होने के पात्र है, साक्ष्य के आधार पर तनकीयात पूर्ण रूप से वादी के हक में सिद्ध हो रही है जो कि दस्तावेजी है [illegible] कर चाहा गया अनुतोष प्रदान करने के आदेश कर डिक्री जारी कर[illegible]ना की गई।

अभिभाषक प्रतिवादीगण [illegible] प्रस्तुत साक्ष्य कि ओर ध्यान दिलाकर निवेदन [illegible] साक्ष्य जमाबंदी में प्रश्नगत भूमि बलदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह के नाम से [illegible] कागजात है यह अंकन स्वयं

क्रमशः पेज 4 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:38 IST
Reason: SelfAttested

वादी के कथनानुसार विक्रय पत्र दिनांक 17.02.1959 के आधार पर अंकित किया गया है जिसे स्वयं वादी स्वीकार करता है यह दस्तावेजी साक्ष्य है मौके पर कब्जा प्रभूर सिंह उर्फ भूर सिंह उर्फ बलदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह का है वादी ने गलत कथन के साथ वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो कतई स्वीकृति योग्य नहीं है आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इस खाते में परिवार के अन्य सदस्य भी पक्षकार है उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है साक्ष्य अधिनियम अनुसार पंजीकृत दस्तावेज को 30 वर्ष बाद न्यायालय स्वयंमेव सही मानने की अवधारणा कर सकता है इतने लम्बे समय बाद इसके विपरीत अवधारणा दस्तावेजी साक्ष्य से ही हो सकती है। साथ ही माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट संगरिया के न्याय निर्णय कि ओर ध्यान दिलाया जिसमें प्रभूर सिंह को ही बलदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह माना गया है वाद वादी साक्ष्य के आधार पर सिद्ध ना होने से निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बाद सुनने तर्क पक्षकारान पत्रावली का तर्को के परिपेक्ष्य में अवलोकन व मनन किया गया तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:–

तनकी सं. 1:– आया वादाधीन भूमि चक 4 डी.डब्ल्यू.एम. का खाता सं. 22/28 का कुल 51.463 है. खातेदारी भूमि में 2.846 है. रकबा लिपिकीय भूल से बैयनामां दर्ज किया है ? ....वादीगण

इस तनकी का भार वादी पर था वादी द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिए स्वयं के शपथ पत्र के बयान के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया ना ही उसके द्वारा बैयनामां की सत्यप्रति प्रस्तुत की व ना ही प्रदर्श अंकित करवाया है तनकी को सिद्ध करने के लिए दस्तावेज के गवाह कातिब आदि किसी के भी बयान नहीं करवाये जिससे दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत किसी तथ्य की अवधारणा की जा सके। तनकी सं. 1 दस्तावेजी साक्ष्य से सम्बंधित है जिसकी सत्यता की अवधारणा दस्तावेज अनुसार ही की जा सकती है विपरीत के लिए दस्तावेजी साक्ष्य से ही विपरीत अवधारणा की जा सकती है जो प्रस्तुत नहीं किया गया है। तनकी सं. 1 संदेह से परे सिद्ध ना होने से खिलाफ वादी निर्णय की जाती है।

तनकी सं. 2 :– आया बलदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह का नाम कलमजन किया जाकर करनैल सिंह पुत्र श्री दीप सिंह का नाम दर्ज करने के हकदार है ? ....वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था इसका सम्बंध तनकी सं. 1 से भी है जो विरूद्ध वादी निर्णय की गई है वादी दस्तावेजी साक्ष्य हस्तांतरण पंजीयन [illegible] चाहता है और वह भी करनैल सिंह द्वारा नहीं चाहा जा रहा बल्कि उसके पुत्र द्वारा चाहा जा रहा है दस्तावेज को नकारने का अधिकार दस्तावेज के आधार पर ही हो सकता है इसलिए वादी यह कहने का अधिकारी नहीं है कि हस्तांतरण त्रुटिवश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:54:38 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः पेज 5 पर......

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

करनैल सिंह के स्थान पर बलदेव सिहं को हो गया है दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी के कथन मानने योग्य नहीं है, तनकी न. 1 के अनुसरण में व तनकी सं. 2 के विवेचनानुसार तनकी सं. 2 संदेह से परे सिद्ध नहीं होती इसलिए तनकी सं. 2 विरूद्ध वादी निर्णय की जाती है।

<u>**तनकी सं. 3 :–**</u> आया प्रतिवादी सं. 1 प्रभूर सिंह के स्थान पर बलदेव सिंह बनकर रकबा हड़पकर बेचान करना चाहता है को जरिये चिरस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का हकदार है? ....वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था किसी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया है प्रतिवादी सं. 1 अंकित काश्तकार है वादी ना तो अंकित काश्तकार है ना ही उसका कब्जा काश्त प्रश्नगत भूमि पर दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध होता है चिरस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतू प्रश्नगत भूमि का खातेदार कृषक व मौके पर कब्जा होना आवश्यक है वादी स्वयं का कब्जा अधिकार कुछ भी सिद्ध नहीं करता इसलिए वह चिरस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष लेने का पात्र नहीं है अतः तनकी सं. 3 खिलाफ वादी निर्णय की जाती है।

<u>**तनकी सं. 4 :–**</u>आया की वादीगण व प्रतिवादीगण करनैल सिंह वल्द दीप सिंह के जायज वारिसान होने से राजस्व रिकॉर्ड में ब.हि.ब. अमल दरामद कराने के हकदार है? ....वादीगण

इस तनकी का भार वादी पर था एवं इसका सम्बंध तनकी सं. 1 ता 3 से है जो कि खिलाफ वादी निर्णय की गई है यहॉ यह भी अंकित करना आवश्यक है कि जमाबंदी में प्रश्नगत भूमि का बलदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह अंकित काश्तकार है और यह अंकन स्वयं वादी के कथनानुसार बलदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह के नाम से पूर्व अंकित काश्तकार हस्तांतरण पत्र के अनुसार आया है इसमें करनैल सिंह कोई हक वा हिस्सा नही बनता इसलिए बतौर वारिस करनैल सिंह प्रश्नगत भूमि में खातेदार घोषित होने के पात्र नहीं बनते, इसलिए तनकी सं. 4 विरूद्ध वादी निर्णय की जाती है।

<u>**तनकी सं. 5:–**</u> आया बैयनामां के अनुसार भरपूर सिंह उर्फ बलदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह व अन्य काश्तकार जो कि राजस्व रिकॉर्ड खाता सं. 20/28 में दर्ज संयुक्त खातेदार कृषक है को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए वाद पत्र Non Joinder of the necessary party suit की तारीफ में आता है? ....प्रतिवादी सं. 1

इस तनकी को सिद्ध करने का भा[illegible]दी सं. 1 पर था प्रतिवादी सं. 1 द्वारा इस तनकी को [illegible]क निर्णय प्रस्तुत नहीं किया प्रस्तुत जमाबंदी के खाते में अन्य [illegible]तकार भी है जिनके हित प्रश्नगत भूमि के खाते से हो सकते है जिन्हें [illegible]कार नहीं बनाया गया

क्रमशः पेज 6 पर......

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जमाबंदी दस्तावेजी साक्ष्य है उसमें परिवर्तन के लिए सभी अंकित काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाना चाहिये जो नहीं बनाया गया यह सिद्ध है, तनकी सं. 5 बहक प्रतिवादी सं. 1 निर्णय की जाती है।

तनकी सं. 6:– आया वादी द्वारा बैयनामां दिनांक 17.02.1959 यानि 55 वर्ष पूर्व पुराना दस्तावेज के विरूद्ध पेश किया है, जिसे निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है? .... प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए मौखिक कथन किये है साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 का अवलोकन करवाया जिसमें स्पष्ट है कि किसी दस्तावेज को परिवर्तित करने का अधिकार काश्तकारी अधिनियम के किसी प्रावधान में नहीं है यह अधिकार व्यवहार न्यायालय का है साक्ष्य अधिनियम के अनुसार भी 30 वर्ष से अधिक का दस्तावेजी साक्ष्य सही होने की अवधारणा न्यायालय करने में सक्षम है इसलिए तनकी सं. 6 बहक प्रतिवादी खिलाफ वादी निर्णय की जाती है।

तनकी सं. 7:– आया की प्रतिवादी सं. 1 वादीगण के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है? ....प्रतिवादी सं. 1

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर था, प्रतिवादी सं. 1 प्रश्नगत भूमि का अंकित काश्तकार है यह दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध है मौके पर कब्जा है यह भी शपथ पत्र के आधार पर सिद्ध होता है गवाहान के शपथ पत्र के आधार पर भी कब्जा काश्त प्रतिवादी सं. 1 का है अतः तनकी सं. 7 संदेह से परे सिद्ध होने से बहक प्रतिवादी सं. 1 निर्णय की जाती है।

तनकी सं 8:– आया वादीण ने धारा 211 आर.टी.ए. के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त खाता के काश्तकारों को पक्षकारान नहीं बनाया गया है इसलिये वाद पत्र चलने योग्य नहीं है? ....प्रतिवादी 2,3,5

इस तनकी का विवेचन तनकी सं. 5 में किया जा चुका है उसी अनुसार तनकी संदेह से परे सिद्ध होने से बहक प्रतिवादीगण निर्णय की जाती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी सं. 1 ता 4 संदेह से परे सिद्ध ना होने से व खिलाफ वादी निर्णय होने से अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है तनकी सं. 5 ता 8 बहक प्रतिवादी निर्णय होने से भी वादी का वाद पूर्णतया सिद्ध ना होने से व दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत प्रस्तुत होने से वादी का वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा भूमि जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 चक 4 डी.डब्ल्यू.एम. खाता सं. 22 नया 28 पुराना के प.न. 137/26, 137/34, 137/42, 137/50, 137/58, 157/72, 157/11, 157/3, 137/51, 137/35, 137/27, 137/28, 137/36, 137/44 की 57.4680 है. में 2.80 [illegible] भूमि को बलदेव सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह के स्थान पर करनैल सिंह [illegible] श्री [illegible] सिंह को खातेदार मानकर करनैल सिंह की मृत्यु उपरान्त वादीगण एक [illegible] पुत्र/पुत्रियों को वारिसान मानकर खातेदार घोषित करने और प्रतिवादीगण को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद

क्रमशः पेज 7 पर.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

करने का वाद निरस्त किया जाता है व प्रतिवादी सं. 1 का प्रतिदावा स्वीकार करते हुए वादीगण को चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से अंकित व कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत ना तो स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करावें डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया, पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सहायक कलैक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:38 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – संदीप कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. नायब सिंह } पुत्रगण करनैल सिंह अकवाम जटसिख
2. साहब सिंह } निवासीयान शाहपीनी तहसील संगरिया।

......वादीगण

बनाम

1. प्रभूर सिंह उर्फ भूरासिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज)
2. बाबू सिंह (मृतक) जरिये वारिसान
   2/1. राजेन्द्र सिंह } पुत्र श्री बाबूसिंह पुत्र करनैल सिंह
   2/2. बलविन्द्र सिंह } अकवाम जटसिख निवासीयान शाहपीनी।
3. मलकीत सिंह (फौत) जरिये वारिस
   3/1. हरवीरकौर } पुत्र/पुत्री मलकीत सिंह जाति जटसिख
   3/2. कुलविन्द्र सिंह } निवासीयान शाहपीनी।
4. रानी पुत्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. प्रकाश सिंह (फौत) जरिये वारिस
   5/1. सिमरजीत कौर } पुत्र/पुत्री प्रकाश सिंह जाति जटसिख
   5/2. बलराज सिंह } निवासीयान शाहपीनी तहसील संगरिया।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. उपपंजीयक सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद अन्तर्गत धारा 88, 91ए, 92ए, 188, 207, 209 आर.टी.ए. मुकदमा न. 129 वर्ष 2014 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील श्री जसवीर सिंह, अभिभाषक वादी, श्री अशोक कुमार छाबड़ा अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2/1 से 3/2, 5/1, 5/2, श्री प्रमोद सहाय प्रतिवादी सं. 4 पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है

वाद वादी संदेह से सिद्ध ना होने से निरस्त किया जाता है व प्रतिवादी सं. 1 का प्रतिवादी स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि वाके चक 4 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ में खाता सं. 22 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 2.846 है. भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना तो स्वयं करे व ना ही किसी अन्य से करावे इसी असर की चिरस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध वादीगण प्रदान की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

नोज......×........ मुबलिग ......×........ बाबत ......×........ खर्चा ......×........ इस मुकदमें में मय सूद बशरहे .... [illegible] ......×........ आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत आज दिनांक 11.12.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)